राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग
(सेवा नियम अद्यतन प्रकोष्ठ)

क्रमांकः प. 1(1)कार्मिक/क–2/2020 जयपुर, दिनांक 30.03.2021

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

विषयः– सभी सेवा नियमों को अद्यतन करने एवं विविध सेवा नियमों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी सेवा नियमों को अद्यतन करने एवं विविध सेवा नियमों में संशोधन के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 23.03.2021 को आयोजित बैठक (विडियों कान्फ्रेन्स) में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैः–

1. विभाग के अधीन सभी सेवा नियमों की सूची बनाकर दिनांक 31.03.2021 तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना।
2. सेवा नियमों में आदिनांक हुए संशोधन की सूची तैयार कर दिनांक 31.03.2021 तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना।
3. सेवा नियम में सभी संशोधनों सहित अंग्रेजी व हिन्दी में साफ्ट प्रति तैयार करना (अंग्रेजी में Times New Rooman Font Size 12 एवं हिन्दी में मंगल फान्ट साईज 11)
4. सेवा नियम के किसी भी भाग में हुए अंतिम संशोधन को संबंधित जगह पर शामिल करते हुए टाईप करना।
5. सेवा नियम अंग्रेजी/हिन्दी की मुद्रित प्रति दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाना एवं साफ्ट प्रति मेल आई डी Rules.dop@rajasthan.gov.in पर मेल करना।
6. सेवा नियम की मुद्रित अंग्रेजी/हिन्दी दोनों का प्रत्येक पृष्ठ विभागाध्यक्ष/संयुक्त शासन सचिव से अधिप्रमाणित कर कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना।

कृपया बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने का श्रम करें।

भवदीय

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
3. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
4. सलाहकार, कार्मिक (क–2) विभाग (सेवा नियम अद्यतन प्रकोष्ठ)।
5. आई.टी. सैल, कार्मिक विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव